BILL NO. 05 OF 2017

THE MINIMUM WAGES (DELHI) AMENDMENT BILL, 2017

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 09August, 2017)

S. Prasanna Kumar
09/08/2017
PRASANNA KUMAR SURYADEVARA
Secretary
Delhi Legislative Assembly
Old Secretariat, Delhi-110054

Bill No. ...05.......of 2017

THE MINIMUM WAGES (DELHI) AMENDMENT BILL, 2017

A Bill to amend the Minimum Wages Act, 1948, in its application to the National Capital Territory of Delhi;

WHEREAS; it is expedient further to amend the Minimum Wages Act, 1948, in its application to the National Capital Territory of Delhi, for the purposes hereinafter appearing;

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-Seventh Year of the Republic of India as follows:

1. **Short title, extent and commencement.**- (1) This Act may be called the Minimum Wages (Delhi) Amendment Act, 2017.
   (2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
   (3) It shall come into force from the date of its notification.

2. **Amendment of section 2 of Act 11 of 1948.**- In section 2 of the Minimum Wages Act,1948 (hereinafter referred to as the Principal Act), in its application to the National Capital Territory of Delhi, after clause (g), the following clause shall be inserted, namely :-

   "(ga) 'State Government' means the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, appointed by the President under Article 239 and designated as such under Article 239 AA of the Constitution.".

3. **Amendment of Section 4 of Act 11 of 1948.**-In Section 4 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted; namely :-
   "(3)The appropriate government, in fixing or revising the minimum rates of the wages under foregoing sub-sections, shall take into account the skill required, the arduousness of the work assigned to the worker, the cost of living of the worker, and other such components which are related to fixing or revising minimum rates of wages as the Government may think appropriate.".

4. **Amendment of Section 11 of Act 11 of 1948.**- In Section 11 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi,--

DVS

(1) in sub-section (1), for the words "in cash", the words "by depositing the same in the bank account of the employees, electronically or by account payee cheque" shall be substituted.
(2) In sub-section (1), the following provisos shall be inserted:
"Provided that payment of wages to the workers employed on daily wages basis, not less than minimum wages as notified from time to time by appropriate Government, may be made in cash;

Provided further that in special circumstances which are beyond the control of employer like- fire in the establishment, natural calamities, death of employer or director of the establishment and other such circumstances as prescribed by appropriate government, the payment of wages may be made in cash.".

5. **Amendment of Section 14 of Act 11 of 1948.**- In Section 14 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi, in Sub-section (1), for the words "the employer shall pay him for every hour or for part of an hour so worked in excess at the overtime rate fixed under this Act or under any law of the appropriate Government for the time being in force, whichever is higher.", the words "the employer shall pay him for every hour or for part of an hour so worked in excess at the overtime rate fixed under this Act which shall not be less than two times of the normal rate of wages fixed under this Act or under any law of the appropriate Government for the time being in force, whichever is higher" shall be substituted.

6. **Amendment of Section 20 of Act 11 of 1948.**- In Section 20 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi, after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely :-
" (3A)-During the pendency of the proceeding or inquiry in the application preferred by the workman under sub-section(2), the workman shall not be retrenched, dismissed, terminated or laid-off without the prior approval of the Authority before whom the application is pending.".

7. **Amendment of Section 22 of Act 11 of 1948.**- In Section 22 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi for the words "shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both" the words "shall be punishable with imprisonment for a term of three years, or with fine of fifty thousand rupees, or with both." shall be substituted.

8. **Amendment of Section 22A of Act 11 of 1948.**- In Section 22A of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi, for the words "with fine which may extend to five hundred rupees", the

DVS

words "with imprisonment for a term of one year, or with fine twenty thousand rupees or with both shall be substituted.

9. **Amendment of section 22 B of Act 11 of 1948 :** After sub-section 2 of Section 22 B, in its application to the National Capital Territory of Delhi, the following sub-section shall be inserted, namely :-
"(3) The court before whom the prosecution complaint is made under section 22 shall dispose of the same within a period of three months from the date of making of the complaint.".

10. **Insertion of Sections 31A** -After Section 31 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi, the following section shall be inserted, namely:-
"31A. The employer shall Upload the employee data on website or web portal in the manner as may be prescribed.".

DVS

MINIMUM WAGES (DELHI) AMENDMENT BILL, 2017

Statement of Objects and Reasons

Several states such as Gujarat and Rajasthan have effected state amendments in the Minimum Wages Act, 1948, to enhance the efficacy of the Act. Primarily, the focus has been on enhancing the penalty as well as making compliance easier for the employers by introducing electronic maintenance of records. To ensure that the benefit of minimum wages actually is received by the workers, these state amendments have substituted cash payments with a direct transfer of the wages into the bank account of the workers. The proposed Labour Codes on Wages Bill of the Government of India has also included such similar provisions. The Government of National Capital Territory, having ensured one of the highest levels of minimum rates wages of workers is intended to adopt such legislative trends, which are in favour of a more efficacious implementation of the minimum wages law.

In order to realistically examine and fix minimum rates of wages for different class/category of workers all necessary components of 'wage determination' which shall include not only basic calorie needs of a workman but also holistically shall include food, shelter, clothing, education for children, medical needs and other social commitments which are generally necessarily followed and adopted by all depending upon their financial earning capacity.

Legislative changes in the form of enhanced penalties and direct benefit
transfer alone shall not be adequate to ensure that all workers are brought under the cover of this beneficial labour welfare enactment. It is common knowledge that in many establishments there are many workers who are engaged on amounts less than minimum rates of wages and in order to avoid compliance with the provisions of the Act, such workers are often not issued any proof or documents which could establish the 'employer-employee' relationship although these are statutorily prescribed documents/records under the provision of Minimum Wages Act, 1948 and rules framed thereunder and it is obligatory on the part of employers to maintain these records/documents.

DVS

विधेयक संख्या (05) 2017

न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक, 2017

(जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 09 अगस्त, 2017 को पुरःस्थापित किया गया)

एस. प्रसन्ना कुमार

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव
विधान सभा, दिल्ली

2017 का विधेयक संख्या 05

न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक, 2017

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के लागू होने में इसका संशोधन करने के लिए

एक

विधेयक

जबकि, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसके बाद उल्लिखित प्रयोजनों के लिए इसका पुनः संशोधन करना आवश्यक हो गया है;

भारत के गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में वर्ष में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा द्वारा निम्न प्रकार अधिनियमित किया जाए :—

1. संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ एवं विस्तार :— (1) इस अधिनियम को न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।

   (2) यह समूचे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू होगा ।

   (3) यह अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।

2. 1948 के अधिनियम 11 की धारा 2 का संशोधन :— दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (इसके बाद " मूल अधिनियम") के अनुप्रयोग में इसकी धारा 2 में निम्नलिखित उपधारा (जी) डाला जायेगा :—

   (जी ए) ' राज्य सरकार का तात्पर्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान की धारा 239 में नियुक्त किया गया है और धारा 239 एए में नामित है ।"

DVS

3. **1948 का अधिनियम 11 की धारा 4 का संशोधन :—** दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 4 में उपधारा 2 के बाद निम्नांकित शब्द सन्निविष्ट किये जायेंगे ।

" दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार पूर्वोक्त धाराओं के अंतर्गत वेतन की न्यूनतम वेतन की न्यूनतम दरें निर्धारण या संशोधन में कामगार के लिए अपेक्षित कौशल उसे सौंपे गये कार्य का परिश्रम, कामगार के जीवन निर्वाह का खर्चा तथा ऐसी अनघटक, जो वेतन की न्यूनतम दरों के निर्धारण / संशोधन से संबंधित हैं, जैसा सरकार उपयुक्त समझती हो ।

4. **1948 के अधिनियम 11 की धारा 11 का संशोधन —** दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 11 में —

(1) उपधारा (1) में आये शब्द " नकदी में " के स्थान पर शब्द " कर्मचारियों के बैंक खाते में से इलेक्ट्रॉनिकली या अकाउंट पेइ चैक द्वारा जमा करना " प्रतिस्थापित माने जायेंगे ।

(2) उपधारा (1) के बाद निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किया जायेगा :

" शर्त यह है कि दिहाड़ी वेतन आधार पर कार्यरत कामगारों के वेतन का भुगतान उपयुक्त सरकार द्वारा समय—समय पर यथा अधिसूचित न्यूनतम वेतन से कम न हो, नकदी में भुगतान किया जा सकता है ।

आगे उपबंध है कि विशेष परिस्थितियाँ, जो नियोक्ता के नियंत्रण से परे हैं, जैसे संस्थापना में आग लगना, प्राकृतिक आपदायें, संस्थापना के नियोक्ता या निदेशक की मृत्यु और उपयुक्त सरकार द्वारा यथा निर्धारित ऐसी अन्य परिस्थितियों में, वेतन का भुगतान नकदी में किया जा सकेगा । "

5. **1948 के अधिनियम 11 की धारा 14 का संशोधन :—** दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार में मूल अधिनियम के लागू होने में, इसकी धारा 14 की उपधारा (1) में आए शब्द " नियोक्ता इस

DVS

अधिनियम के अंतर्गत या उस समय विद्यमान उपयुक्त सरकार की किसी विधि के अंतर्गत निश्चित समय पर भत्ते की दर से अधिक दर पर, जो भी अधिक हो, किये गये कार्य के लिए उस प्रत्येक घंटे या किसी घंटे के भाग के लिए भुगतान करेगा" के स्थान पर शब्द " नियोक्ता इस अधिनियम के अंतर्गत या उस समय विद्यमान उपयुक्त सरकार की किसी अन्य विधि के अंतर्गत निश्चित वेतन की सामान्य दर से, जो दो गुणा से कम न हो, जो भी अधिक हो, पर भुगतान करेगा ।

6. 1948 के अधिनियम 11 की धारा 20 का संशोधन :– दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 20 की उपधारा (3) के बाद उपधारा (3क) सन्निविष्ट की जायेगी।

" (3क) की उपधारा (2) के अंतर्गत कामगार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में कार्यवाही या जाँच की देरी के दौरान कामगार की छँटनी, पदच्यूत, पद से मुक्त नहीं की जायेगी / किया जायेगा या जिस प्राधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र है, उसके पूर्व अनुमोदन के बिना अस्थायी छँटनी नहीं की जायेगी ।

7. 1948 के अधिनियम 11 की धारा 22 का संशोधन :– दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के लिए मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 22 में आये शब्द " इसके लिए कारावास की सजा का प्रावधान है जो कि अधिकतम छह माह तक का होगा और साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है जो कि अधिकतम पाँच सौ रुपये तक होगा या दोनो ।" निम्नांकित शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

" इसके लिए तीन वर्ष के कारावास की सजा या पचास हजार रुपये के जुर्माने या दोनो का प्रावधान है ।"

8. 1948 के अधिनियम 11 की धारा '22 क ' का संशोधन :–

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के लिए मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 22 क में आये शब्द " इसके लिए अधिकतम पाँच सौ

DVS

रुपये तक प्रावधान है । " निम्नांकित शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

" इसके लिए एक वर्ष के कारावास की सजा या बीस हजार रुपये के जुर्माने या दोनो का प्रावधान है । "

9. 1948 के अधिनियम 11 की धारा 22 ख का संशोधन :— दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के लिए मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 22 ख की उपधारा 2 के बाद उपधारा (3) सन्निविष्ट की जायेगी " अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत जिस न्यायालय के समक्ष अभियोग संबंधी शिकायत की गयी है, वह न्यायालय शिकायत होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर उसका निपटान करेगा । "

10. धारा 31 क की प्रविष्टि :— दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के लिए मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 31 के बाद निम्नांकित धारा प्रविष्टं की जायेगी :—

" 31 क — नियोक्ता कर्मचारी का विवरण यथानिर्धारित पद्धति से वेबसाइट या वेब पोर्टल पर करेगा । "

DVS

न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक , 2017

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

गुजरात और राजस्थान जैसे कुछेक राज्य ने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 को और प्रभावशाली बनाने के लिये राज्यों ने इसमें संशोधन किए हैं । मुख्यतः दण्ड बढ़ाने और अभिलेख का इलेक्ट्रोनिक रखरखाव प्रारम्भ करने के लिए और अनुपालन सुगम बनाने पर विचार किया गया है। कामगारों द्वारा न्यूनतम वेतन वास्तव में प्राप्त किया गया है इसे सुनिश्चित करने के लिये इन राज्य सरकारों ने कामगारों को वेतन नकद भुगतान करने के स्थान पर उनके बैंक खाते में सीधे अन्तरण किया जाता है। भारत सरकार के वेतन विधेयक की प्रस्तावित श्रमिक संहिताओं में इसी प्रकार के उपबन्ध भी सम्मिलित किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार कामगारों के वेतन की न्यूनतम दरों में से एक उच्चतम दर सुनिश्चित करने के लिये ऐसा विधायी कानून पारित कराना चाहती है, जो न्यूनतम मज़दूरी कानून के अधिक प्रभावी कियान्वयन के पक्ष में हों ।

भिन्न–भिन्न प्रकार/श्रेणी वर्ग के कामगारों के लिये वेतन की न्यूनतम दरों की वास्तविक रूप में जांच करने और निर्धारण हेतु वेतन निर्धारण के सभी आवश्यक घटको की वास्तविक जांच की जाए, जिसमें किसी कामगार की केवल मूलभूत आवश्यकताएं सम्मिलित न हो, अपितु इसमें भोजन, आवास, कपड़ा, बच्चों के लिये शिक्षा, चिकित्सा आवश्यकताएं जैसे कल्याणकारी कार्य एवं सामाजिक दायित्व भी सम्मिलित हों जिनका सामान्यतः उनके लिए अनुसरण किया जाता है और अपनाया जाता है, जो सभी उनकी कमाई पर निर्भर होते हैं।

न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने के लिये दण्ड बढ़ाना और केवल लाभ सीधे अन्तरण करने के रूप में विधायी परिवर्तन करने पर्याप्त नहीं होंगे कि इस लाभप्रद श्रमिक कल्याण कानून के अन्तर्गत सभी

DVS

कामगार लाए गए हैं। यह आम बात बन गई है कि बहुत सारी संस्थापनाओं में बहुत सारे ऐसे कामगार हैं, जिन्हें मज़दूरी की न्यूनतम दरों से भी कम दरों पर तैनात किया गया है और ताकि अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन से बचा जा सके। ऐसे कामगारों को प्रायः किसी प्रकार का प्रमाण या प्रलेख जारी नहीं किये जाते हैं जिससे 'नियोक्ता–कर्मचारी' के बीच सम्बद्ध स्थापित किया जा सके। हालांकि ये न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों उपबन्धों के अन्तर्गत विधिक निर्धारित प्रलेख/अभिलेख है। विधिक और नियोक्ताओं को यह अभिलेख / प्रलेख बनाने अनिवार्य होते हैं ।

DVS